विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राजस्व एवं सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.) से संबंधित दो अध्याय है जिसमें लेखापरीक्षा प्राप्तियां शामिल हैं। राजस्व क्षेत्र से संबंधित अध्याय I में अवनिर्धारण, राजस्व के कम भुगतान/घाटा, ब्याज एवं हर्जाने पर सात पैराग्राफ हैं, जिसमें ₹ 254.46 करोड़ की धनराशि शामिल है और अध्याय II जो सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.) से संबंधित है, में एक निष्पादन लेखापरीक्षा और आठ पैराग्राफों (एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित) को शामिल करता है, जिसमें ₹ 102.38 करोड़ शामिल हैं। कुछ प्रमुख निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया हैः

अध्याय-I: राजस्व क्षेत्र

वर्ष 2015-16 में ₹ 34,998.85 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 हेतु सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति ₹ 34,345.74 करोड़ थी। इसमें से 92 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 31,139.89 करोड़) और गैर-कर राजस्व (₹ 380.69 करोड़) से प्राप्त हुआ। बाकी आठ प्रतिशत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में (₹ 2,825.16 करोड़) प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व में 3.03 प्रतिशत वृद्धि तथा गैर-कर राजस्व में 26.14 प्रतिशत कमी थी।

(पैराग्राफ 1.1.1)

वर्ष 2016-17 के दौरान व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन तथा राजस्व विभाग की 88 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई जिसमें 650 पैराग्राफों में शामिल ₹ 416.94 करोड़ का अवनिर्धारण/कर का कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं को दर्शाया गया। वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों की ₹ 7.04 करोड़ की राशि को स्वीकार किया।

(पैराग्राफ 1.1.9)

व्यापार एवं कर विभाग और परिवहन विभाग

सांविधिक फार्मों को जारी करना

सांविधिक फार्मों को जारी करने पर वार्ड अधिकारियों की उपयुक्त तत्परता और निगरानी अपर्याप्त थी साथ ही यह डीवैट सिस्टम में प्रकट कमियों को पता लगाने/मजबूत करने में असफल था। पिछली मांग की वसूली सुनिश्चित किए बिना और विवरणियों में घोषित खरीद धनराशि का मिलान किए बगैर डीलरों को सांविधिक प्रपत्र जारी किए गए। पंजीकरण प्रमाणपत्र में शाखाओं/प्रेषण एजेंटों का विवरण और विक्रय की मदों का विवरण न होने पर भी डीलरों को

सांविधिक फार्म जारी किए गए। वार्ड अधिकारियों ने फार्म डाऊनलोड के दुरूपयोग को रोकने के विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया, इससे डीलरों द्वारा अनियमित रूप से फार्म की डाऊनलोडिंग में गड़बड़ियां हुईं। प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर निरस्त पंजीकरण प्रमाणपत्रों (आर.सी.) के आधार पर भी डीलरों को सांविधिक फार्म जारी किए गए। प्रणाली की अभिकल्पना में कमियां होने और समुचित वैधीकरण जांचों के अभाव के परिणामस्वरूप समान क्रम संख्या के अनेक फार्म जारी हुए और सांविधिक फार्मों को डाऊनलोड करने में समान ट्रांजैक्शन वैल्यू का दोबारा प्रयोग किया गया। इन कमियों के परिणामस्वरूप ₹ 1,892.78 करोड़ के सांविधिक फार्मों को जारी करने में गड़बड़ी पाई गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 248.08 करोड़ राशि के कुछ मामलों में कर हर्जाना नहीं लगाया गया।

(पैराग्राफ 1.2)

रियायती कर के लिए व्यापारियों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारण अधिकारी की विफलता के कारण ₹ 20.91 लाख के कर का कम उद्ग्रहण, ₹ 11.11 लाख के ब्याज तथा ₹ 20.91 लाख के जुर्माने सहित ₹ 52.93 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 1.3)

निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रय व्यापारियों द्वारा कर जमा के विवरण का सत्यापन के बिना निर्धारितियों को ₹ 18.80 लाख का इनपुट कर जमा अनुमत्य किया, परिणामस्वरूप ₹ 18.80 लाख के कर का कम उदग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 10.80 लाख के ब्याज तथा ₹ 18.80 का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

(पैराग्राफ 1.4)

जिन व्यापारियों का पंजीकरण रद्द हो चुका था उनसे विभाग ₹ 3.90 करोड़ की माँग वसूल करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 1.5)

एक व्यापारी की सही कर देयता का पता लगाने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.68 लाख के कर का कम भुगतान हुआ। व्यापारी से ₹ 4.75 लाख का ब्याज और ₹ 16.51 लाख का जुर्माना भी देय था।

(पैराग्राफ 1.6)

फॉर्म 'सी' पर कर के रियायती दर की अतिरिक्त अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 63.79 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अलावा, ₹ 37.70 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

(पैराग्राफ 1.7)

सरकारी खातों में प्राप्तियाँ जमा करने में विलम्ब होने के कारण ₹ 20.20 लाख के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 1.8)

अध्याय - II सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)

31 मार्च 2017 को 17 सा.क्षे.उ. थे जिसमें 15 सरकारी कंपनियां तथा दो सांविधिक निकाय शामिल थे। 31 मार्च 2017 को इन 17 सा.क्षे.उ. में निवेश ₹ 30,433.81 करोड़ था। कुल निवेश, 31.54 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी की ओर, 10.56 प्रतिशत निर्बाध आरक्षित निधियों की ओर एवं 57.90 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों की ओर था। यह निवेश 2012-13 में ₹ 26,995.92 करोड़ से 12.73 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में ₹ 30,433.81 करोड़ हो गया। सरकार ने 2016-17 के दौरान राज्य सा.क्षे.उ. को इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/आर्थिक सहायता के लिए ₹ 2,214.75 करोड़ दिया।

(पैराग्राफ 2.1.6 और 2.1.7)

बकाया लेखों की संख्या 12 (2012-13) से बढ़कर 29 (2016-17) हो गई। 30 सितम्बर 2017 को एक सा.क्षे.उ. दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय तथा विकास निगम लिमिटेड के लेखे 13 वर्षों से बकाया थे जबकि अन्य सा.क्षे.उ. के लेखे एक से तीन वर्षों तक बकाया थे।

(पैराग्राफ 2.1.9)

17 कार्यशील सा.क्षे.उ. में से 10 सा.क्षे.उ. ने ₹ 967.60 करोड़ का लाभ कमाया और छः सा.क्षे.उ. ने ₹ 3,488.55 करोड़ का घाटा उठाया। एक कार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखे 'न लाभ न हानि' की स्थिति में थे।

(पैराग्राफ 2.1.12)

अक्तूबर 2016 से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान प्राप्त 19 लेखों के संबंध में छः लेखों को सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अयोग्यता प्रमाणपत्र दिए गए, 12 लेखों को योग्यता प्रमाणपत्र और एक लेखे के लिए प्रतिकूल प्रमाणपत्र (जिसका अर्थ हैं कि लेखे सही और निष्पक्ष स्थिति नहीं दर्शाते) दिया गया।

(पैराग्राफ 2.1.13)

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा विकलांग वित्तीय तथा विकास निगम लिमिटेड के कार्य की निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसमें 2012-13 से 2016-17 की अवधि को सम्मिलित किया गया, से लक्षित जनसंख्या तक पहुंच पाने में कमी, आवंटन से कम निधि का आहरण और ऋण की कम वसूली का पता लगा। कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

कंपनी ने लक्षित समूहों की पहचान के लिए न तो कोई सर्वेक्षण किया और न ही अभीष्ट लाभार्थियों का डाटाबेस बनाया।

(पैराग्राफ 2.2.2)

कंपनी ने नियमित रूप से अपने वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया। वर्ष 2004-05 तथा उसके बाद के वर्षों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

(पैराग्राफ 2.2.3.1)

ऋण के संवितरण का प्रतिशत जो 2012-13 में कुल उपलब्ध निधियों का 45.41 प्रतिशत था, कम होकर 2016-17 में 12.90 प्रतिशत रह गया।

(पैराग्राफ 2.2.3.2)

कंपनी की ऋण गतिविधियों के भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति में काफी कमी रही। यह प्राप्ति 2012-17 की अवधि में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एक से 61 प्रतिशत तक रही।

(पैराग्राफ 2.2.4.1)

वित्तीय सहायता को बढ़ाने में कमियाँ थी और ऋणों के संवितरण में काफी विलंब हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.4.4)

लाभार्थियों से वसूली को बाद की कार्रवाई प्रक्रिया के अनुसरण की प्रणाली संतोषप्रद नहीं थी क्योंकि वर्ष 2016-17 के दौरान की गई कुल वसूली मात्र 11 प्रतिशत थी। 31 मार्च 2017 तक अधिक लंबितता वाले मामलों के संबंध में ₹ 23.77 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई।

(पैराग्राफ 2.2.5)

5,192 मामलों में से अधिकतम 3,533 मामले जिन्हें अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे, वसूली प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई।

(पैराग्राफ 2.2.5.2)

शिकायत निवारण प्रणाली अपर्याप्त थी और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर और अप्रभावी थी।

(पैराग्राफ 2.2.7)

पावर विभाग

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा न्यूनतम वैकल्पिक कर देयता का निर्धारण समय से करने में असफलता के फलस्वरूप अग्रिम कर के गैर-भुगतान के कारण ₹ 60.01 लाख के दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

(पैराग्राफ 2.3)

दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड प्रस्तावित उपकेंद्र हेतु भूमि की उपयुक्तता सुनिश्चित किए बिना ₹ 1.34 करोड़ की वार्षिक आवर्ती लागत पर और वर्ष 2022 तक इसकी स्थापना की किसी निश्चित योजना के बिना 2014 में भूमि का क्रय किया गया जिसके फलस्वरूप इस भूमि के लिए जुलाई 2017 तक भुगतान किए गए ₹ 4.08 करोड़ पर, जो अभी तक अवरूद्ध हैं एवं अलाभकारी हो गए है, इसके ऋणों पर दिये जा रहे ब्याज के अनुसार, ₹ 79.92 लाख के राजस्व की हानि हो गई।

(पैराग्राफ 2.4)

पर्यटन विभाग

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम

सर्वोच्य न्यायालय तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्देशों के अतिलंघन में तथा डीडीए द्वारा अक्तूबर 2013 में भूमि उपयोग के बदलाव को अस्वीकृत करने और यूटीटीआईपीईसी द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद मयूर विहार में दिल्ली हाट के निर्माण को प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप ₹ 39.66 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.5)

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम ने ग्राहक विभाग से डिपोज़िट की पूर्व प्राप्तियों को सुनिश्चित किए बिना डिपोज़िट कार्य पर व्यय करने के कारण ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज की हानि को वहन किया।

(पैराग्राफ 2.6)

डीटीटीडीसी की ओर से यथोचित कर्मठता तथा योजना की अपर्याप्तता के परिणामस्वरूप भूमि को कथित उपयोग हेतु विकसित करने में 12 वर्ष का परिहार्य विलंब तथा ₹ 23.19 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, भूमि में निवेश की व्यर्थता होने का अभिप्राय है कि डीटीटीडीसी को ₹ 1.79 करोड़ की अवरुद्ध निधियों पर ₹ 1.27 करोड़ की ब्याज की हानि के साथ कोई अनुकूल राजस्व उत्पत्ति नहीं हुई।

(पैराग्राफ 2.7)

परिवहन विभाग

दिल्ली परिवहन निगम

ठेका प्रबंधन में कमी एवं प्रबंधन द्वारा देरी से की गई कार्रवाई के कारण डीटीसी टाटा मोटर्स लिमिटेड से 17 बसों जिनका घटा हुआ मूल्य ₹ 5.86 करोड़ था, के जलने से हुए घाटे को वसूल नहीं कर सका इसके अतिरिक्त, 17 बसों की अनुपलब्धता के कारण डीटीसी को अंशदान का वार्षिक नुकसान ₹ 1.13 करोड़ तथा जून 2017 तक कुल ₹ 2.82 करोड़ का नुकसान हुआ। 2682 बसों के लिए बीमा नहीं कराने का मतलब है टाटा मोटर्स लिमिटेड को बीमा की लागत के बराबर का अनुचित लाभ देना।

(पैराग्राफ 2.8)

कार्यकारी एजेंसी अपर्याप्त नियोजन से जुड़े द्वारका-VIII बस डिपो के विकास हेतु सौंपे गए डिपोजिट वर्क की प्रगति की निगरानी करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 50.72 लाख के बिजली प्रभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.9)